समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी श्री आदित्य प्रसाद सिंह पे0 श्री यदुनन्दन प्रसाद सिंह, सा0 खोपैती, थाना+जिला- मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना अंकित कर नहीं समर्पित किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 76/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 108/1947 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाव अब तक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी किया गया था। अंचल अधिकारी, मधेपुरा एवं थानाध्यक्ष, मधेपुरा के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 259-2 दिनांक 18.03.2014 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा पुनः भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। समुचित अवसर दिए जाने के वावजूद भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना, यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन एवं मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए श्री आदित्य प्रसाद सिंह पे0 श्री यदुनन्दन प्रसाद सिंह, सा0 खोपैती, थाना+जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 108/1947 को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुज्ञप्ति पुस्त(मूल) जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित बन्दुक सं0 2170 को मधेपुरा थाना या बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 183 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 2/4/14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री आदित्य प्रसाद सिंह पे0 श्री यदुनन्दन प्रसाद सिंह, सा0 खोपैती थाना+जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।